न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 32/2019-20

अर्चना कुमारी प्रसाद पति श्री रवि कुमार – अपीलकर्त्ता
ग्राम मुरहू, डुडरी थाना मुरहू जिला खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – विपक्षी

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
25.08.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1591R27/18-19 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.19 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–	

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
हुटुबदाग	खूँटी 88	02	151	0.07

अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा एवं अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद में अंगीकार किया गया। आवेदक कथन करते है कि मौजा हुटुबदाग थाना खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 0.07 एकड़ है जो श्री रामस्वरूप प्रसाद वल्द स्व0 हरिहर राम गौंझू से विक्रय पट्टा सं0 230/223 दिनांक 11.02.2019 के द्वारा खरीद कर स्वमित्व प्राप्त कर दखलकार चले आ रहे है।

आवेदक द्वारा उक्त भूमि का नामांतरण हेतु अंचल कार्यालय, खूँटी में आवेदन दाखिल किया जिसका वाद सं0 1591R27/18-19 पड़ा ।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता आवेदित भूमि का दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चलने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की अंचल अधिकारी द्वारा दखल संबंधी बिना जांच किये ही दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चल रही है बताकर दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी को दाखिल खारिज संबंधी जांचोपरांत निर्णय लेना चाहिये था। अंत में अधिवक्ता द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने हेतु अनुरोध करते है।

अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खूँटी को **Remand** करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक के दखल कब्जा के बिन्दु पर जांच करते हुए विधिसम्मत दाखिल खारिज करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

लेखापित एवं संशोधित

25/08/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/08/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।